भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3411
12.07.2019 को उत्तर के लिए

वायु में पार्टिकुलेट मैटर (धूल के कण) में वृद्धि

3411. श्री दीपक बैज:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में विगत तीन महीनों के दौरान वायु में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) की मात्र सबसे खराब/हानिकारक थी;

(ख) सरकार द्वारा देश के महानगरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधर हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इसके परिणाम क्या रहे; और

(ग) बढ़ते पार्टिकुलेट मैटर के कारण घटिया वायु गुणवत्ता किस स्तर तक लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) केन्द्र सरकार ने वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए कई नियामक उपाय किए हैं। इन कदमों से दिल्ली में वर्ष 2018 में 'अच्छे', 'संतोषजनक' और 'सामान्य' दिनों की संख्या बढ़कर 159 हुई है जबकि वर्ष 2017 में यह 152 थी और वर्ष 2016 में 106 थी, और 'खराब', 'बहुत खराब' और 'गंभीर' दिनों की संख्या जो 2016 में 246 थी और 2017 में 213 थी वह 2018 में घटकर 206 हो गई थी। वर्ष 2016-2018 के दौरान सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों (सीएएक्यूएमएस) तहत दिल्ली की परिवेशी वायु गुणवत्त के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि पीएम$_{2.5}$ के स्तर में वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में 7.3% और 2016 की तुलना में 14.8% की कमी पाई है और पीएम$_{10}$ का स्तर में वर्ष 2017 की तुलना में 8.6% और 2016 की तुलना में 16.5% की कमी आई है।

इसके अतिरिक्त, अप्रैल से जून के दौरान सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों से संकेत मिलता है कि वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में सामान्य सुधार हुआ है।

(ख) केंद्रीय सरकार ने देश में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा उपशमन के लिए कई नियामक उपाय किए हैं। इनमें शामिल है:-

दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य योजनाएं:

(i) दिल्ली तथा एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा कमी के लिए 12 जनवरी, 2017 को ग्रेडित प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) को अधिसूचित किया गया था। इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक की चार श्रेणियों नामत: सामान्य से खराब, काफी खराब, गंभीर तथा अत्यंत गंभीर या इमरजेंसी श्रेणियों के लिए किए जाने वाले उपायों और कार्यान्वयन एजेंसियों को श्रेणीबद्ध कर चिन्हित किया गया है।

(ii) केन्द्रीय सरकार ने 2018 में दिल्ली तथा एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा कमी के लिए चिन्हित किए गए कार्यों हेतु समय सीमा निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐजेंसियों की पहचान करते हुए एक व्यापक कार्य योजना (सीएपी) अधिसूचित की है।

(iii) दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित बड़े शहरों में वायु प्रदूषण की रोकथाम के 42/31 उपायों को क्रियान्वित करने के लिए वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1981 की धारा 18 (1)(ख) के अधीन व्यापक निर्देश जारी किए गए। इन

निर्देशों में वाहन उत्सर्जनों, सड़कों की धूल व अन्य प्लायक उत्सर्जनों का पुर्ननिलंबन, बायोमास/नगरीय ठोस अपशिष्टों को जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण व विध्वंस कार्यकलापों, और अन्य सामान्य उपायों से संबंधित नियंत्रण और निवारक उपाय शामिल हैं।

अन्य शहरों में वायु गुणवत्ता की सुधार के लिए कार्ययोजनाएं

i. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वायु प्रदूषण की समस्या का व्यापक तरीके से निपटान करने के लिए जनवरी, 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है, जिसमें 2024 तक पीएम$_{10}$ और पीएम$_{2.5}$ के संकेंद्रण को 20 से 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें संकेंद्रण की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष बनाया गया है। इसका समग्र उद्देश्य पूरे देश में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा कमी के लिए व्यापक प्रबंधन योजना सुनिश्चित करने और जनजागरूकता और दक्षता निर्माण उपायों को बढ़ाने के अतिरिक्त परिवेशी वायु गुणवत्ता नियंत्रण नेटवर्क को तैयार करना और उसका संवर्धन करना है

ii. 2011 से 2015 की अवधि तथा 2014/2018 की डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार परिवेशी वायु गुणवत्ता के आधार पर लक्ष्य प्राप्त न करने वाले 102 शहरों को चिन्हित किया गया है। कुल 86 शहर विशिष्ट कार्य योजनाओं को जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया है।

केंद्र सरकार ने देश में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा उपशमन के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें ये शामिल हैं :-

निगरानी

- परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन के लिए निगरानी नेटवर्क की स्थापना। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम (एनएएमपी) के अंतर्गत देशभर में 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में 339 शहरों को कवर करते हुए 779 अवस्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा 18 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में 102 शहरों के 170 स्थानों पर रियल टाइम निगरानी की जा रही है।
- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की अधिसूचना
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से अक्तूबर, 2018 में दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता शीघ्र चेतावनी प्रणाली का कार्यान्वयन।

परिवहन

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1 अप्रैल, 2018 से और देश के अन्य भागों में 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानक अपनाना।
- स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधन जैसे गैसीय ईंधन (सीएनजी, एलपीजी आदि), इथेनॉल मिश्रण की शुरूआत करना।
- सड़कों पर वाहनों की अधिकता के कारण भीड़-भाड़ को कम करने हेतु सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा और सड़कों में सुधार तथा और ज्यादा पुलों का निर्माण।
- दिल्ली से अ-लक्षित वाहनों के मार्ग को डाइवर्ट करने हेतु पूर्वी पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे और पश्चिमी पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे का प्रचालन।
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना।
- दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी तथा उससे ऊपर की इंजन क्षमता वाले डीजल वाहनों पर पर्यावरण संरक्षण शुल्क (इपीसी) लगाया गया है।

उद्योग

- 15 अक्तूबर, 2018 से बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र को बंद कर दिया गया है।
- विद्युत संयंत्रों के लिए कड़े उत्सर्जन मानकों की अधिसूचना जारी करना।

- दिल्ली और एनसीआर में सभी ईंट-भट्टों को मिश्रित प्रौद्योगिकी अपनाने का निदेश दिया गया है।
- दिल्ली और एनसीआर में रेड श्रेणी के सभी उद्योगों में ऑन-लाइन सतत (24x7) निगरानी उपकरणों की संस्थापना।
- औद्योगिक क्षेत्रों के लिए समय-समय पर उत्सर्जन मानको का संशोधन।
- दिल्ली तथा एनसीआर के राज्यों में पेट कोक तथा फर्नेस ऑयल पर प्रतिबंध – चूना भट्टों/ सीमेंट भट्टों तथा कैल्शियम कार्बाइड उद्योग में पेट कोक के उपयोग की निगरानी।

बायोमास और ठोस अपशिष्ट

- वर्ष 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशिष्ट के खेत में ही प्रबंधन हेतु कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा' संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना शुरु की गई है।
- बायोमास/ कूड़ा-करकटके जलाने पर प्रतिबंध लगाना।
- दिल्ली में इस समय 5100 टन प्रतिदिन (टीपीडी) की कुल क्षमता वाले 3 अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने वाले (डब्ल्यू-टी-ई) संयंत्र प्रचालित हैं।
- वर्ष 2016 में ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट तथा खतरनाक अपशिष्टों को शामिल करते हुए 6 अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित किए गए हैं।

धूल-कण

- निर्माण और विध्वंस कार्यकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।
- दिल्ली में मशीनीकृत सड़क सफाई मशीनों की संख्या में काफी वृद्धि की गई है और वर्तमान में सड़कों की सफाई के लिए 60 मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।

जन-संपर्क अभियान

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार ने 10-23 फरवरी, 2018 के दौरान दिल्ली के लिए स्वच्छ वायु अभियान की शुरूआत की थी और दिवाली से पहले और उसके बाद 1 नवंबर, 2018 से 10 नवंबर, 2018 के दौरान वायु प्रदूषण फैलाने वाले कार्यकलापों को नियंत्रित करने हेतु "स्वच्छ वायु अभियान" नामक एक विशेष अभियान आरंभ किया था।
- मंत्रालय द्वारा हरित अच्छे कार्यों, जिनमें साईकिल की सवारी करने को बढ़ावा देने, जल और बिजली बचाने, पेड़ लगाने, वाहनों का उचित अनुरक्षण करने, सड़कों पर लेन अनुशासन का पालन करने तथा कार पूलिंग द्वारा सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करने आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है, के माध्यम से पर्यावरणीय संरक्षण हेतु लोगों की भागीदारी और नागरिकों में जागरुकता सृजन अभियानों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित जन-शिकायतों के समाधान हेतु 'समीर ऐप', ई-मेल (aircomplaints.cpcb@gov.in) और 'सोशल मीडिया नेटवर्कों' (फेसबुक और ट्विटर) के माध्यम से एक तंत्र विकसित किया गया है।

(ग) यद्यपि, वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी बीमारियों और इससे जुड़ी बीमारियों के लिए मुख्य कारकों में से एक है, लेकिन वायु प्रदुषण के कारण मृत्यु / रोग से प्रत्यक्ष सहसंबंध स्थापित करने के लिए देश में कोई निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

*****